RAJYA SABHA

Wednesday, the 16th April, 2008/27 Chaitra, 1930 (Saka)

The House met at eleven of the clock,

MR. CHAIRMAN in the Chair.

MEMBERS SWORN

Shri Nandamuri Harikrishna, Andhra Pradesh

Shri Nandi Yellaiah, Andhra Pradesh

Prof. Alka Balram Kshatriya, Gujarat

Shri Om Prakash Mathur, Rajasthan

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Restart of anti-migrant drive in Maharashtra

*341. DR. (SHRIMATI) NAJMA A. HEPTULLA:††
SHRIMATI MOHSINA KIDWAI:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government is aware that anti-migrant drive has again been started by the Maharashtra Navnirman Sena (MNS) activists against the workers of U.P. and Bihar;

(b) if so, how many cases have been registered in Maharashtra against such people disturbing peace and security and how many have been arrested;

(c) whether Government is also aware that such drives are going on in various places of Maharashtra;

(d) if so, whether Government will compensate the people who lost their jobs in Maharashtra and were forced to board the trains; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) As per information made available by the State Government of Maharashtra, no anti-migrant drive has again been started by the MNS against the workers of U.P. and Bihar. However, according to the information provided by the State Government, 336 offences were registered, and 1575 persons were arrested for substantive offences in addition to

---

††The question was actually asked on the floor of the House by Dr. (Shrimati) Najma A. Heptulla.

preventive action against 5159 persons, in respect of various incidents that took place in month of February, 2008.

(c) The State Government has informed that no such drive is going on in any place Maharashtra.

(d) and (e) This matter has to be looked into the State Government for appropriate actior in all cases. The State Government has reported that it has given ex-gratia assistance in 21 cases.

डॉ० (श्रीमती) नजमा ए० हेपतुल्लाः सर, माननीय मंत्री जी ने लिखित में जवाब दिया है। इस बात की खुशी है कि अभी महाराष्ट्र के अंदर कोई ऐसी घटना नहीं हो रही है, जैसी कि फरवरी में हुई थी। यह बात भी सिद्ध है कि हर स्टेट के अंदर यह डिमांड उठती है कि उसके लोगों को सबसे पहले नौकरियां मिलें। उसकी अगर वहां की कोई विशेष भाषा होती है तो उस भाषा का प्रोटेक्शन हो। उन लोगों को अपनी स्टेट में नौकरी करने के लिए प्रिफरैंस मिलें। आपने बड़े विस्तार से इस बात का जबाव दिया है कि वहां एक्शन लिया। मेरा emphasis यह था कि अगर किसी भी आक्रोश की वजह से लोगों का नुकसान हुआ है, तो उसके लिए वहां की सरकार ने क्या किया है? क्या उन लोगों को कुछ पैसे की मदद दी गयी हैं? क्या उनको वापस बुलाने का प्रयास किया गया है? मैं इस पार्लियामैंट में 25 साल से महाराष्ट्र का रिप्रेजैंटेशन कर रही हूं। मैं तो मध्य प्रदेश से आई थी, महाराष्ट्र की बहू बनी और मैंने अच्छी तरह से महाराष्ट्र का रिप्रेजैंटेशन किया है। क्या सैंट्रल गवर्नमैंट ने या स्टेट गवर्नमैंट ने यह मालूम करने की कोशिश की कि क्यों महाराष्ट्र में इस तरह की भावना लोगों के मन में है कि वे सड़कों पर आकर लोगों पर गुस्सा उतारते हैं?

श्री शिवराज वी० पाटीलः सभापति जी, महाराष्ट्र के सारे लोग गुस्सा करते हैं, ऐसा मानना गलत होगा। अगर कोई इक्का-दुक्का निकला है और ऐसी भावना लेकर सड़क पर उतरा है, तो यह उसकी गलती है। उसको समझाया भी जा सकता है, उसके खिलाफ कार्यवाही भी की जा सकती है। इसको आपसे ज्यादा कौन जानता है, क्योंकि आप वहां रहती हैं, आप वहां का प्रतिनिधित्व करती हैं। जब हमने महाराष्ट्र गवर्नमैंट से इसके बारे में पूछताछ की, तो उन्होंने बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी इसके लिए जिम्मेदारी है। मगर वहां के बहुत सारे लोग सब लोगों को अपना मानने वाले हैं। वह सब तरफ हैं और सब तरफ के लोगों को महाराष्ट्र के अंदर जगह लेने की उनकी मानसिकता है, इसको हमें ध्यान में रखना जरूरी है। जहां तक उनको मदद करने का सवाल है, उन्होंने इसके बारे में हमें बताया है कि वे जरूर मदद करेंगे। वे वापस आयेंगे, जब पहले यहां पर चर्चा हुई थी, तो उसमें पूछा गया था कि उनके घर दूसरों ने अपने कब्जे में ले लिये हैं, इसके लिए क्या किया जायेगा। हमने यहां पर, इसी फ्लोर पर बताया था कि अगर उनके घर किसी ने ऐसे ले लिए हैं, तो वे जरूर वापस किये जायेंगे। इसको करने की जिम्मेदारी सरकार की है, महाराष्ट्र सरकार की है। अगर उन्होंने इस कार्य को नहीं किया, तो हम देखेंगे कि वे घर वापस जायें।

जहां तक कम्पेनसेशन देने का सवाल है, वहां पर कुछ लोगों को कम्पेनसेशन दिया भी है। जिनका कुछ नुकसान हुआ है, उनको कुछ कम्पेनसेशन दिया भी है। मगर सही माने में किसी का नुकसान इससे भी ज्यादा हुआ है और वह सामने आ जाये, वह प्रूव हो जाये, तो महाराष्ट्र गवर्नमैंट उसकी जरूर मदद करेगी, ऐसा हम मानते हैं। अगर वह मदद नहीं करेगी, तो हम उनकी मदद करने के लिए बोलेंगे और यहां से भी जो हम कर सकते हैं, वह जरूर करेंगे।

डॉ० (श्रीमती) नजमा ए० हेपतुल्लाः सभापति जी, मंत्री जी ने ठीक कहा है कि महाराष्ट्र में सब लोग ऐसा नहीं करते हैं, बड़ा दिल है। सर, मालूम नहीं है, आप कर्णाटक से महाराष्ट्र में आये थे या महाराष्ट्र के ही आप है, मुझे उसके बारे में इतना मालूमात नहीं है। मगर आपने भी महाराष्ट्र को रिप्रेजैंट किया और ऐसे वाकियात बहुत दिनों के बाद हुए हैं। मैं 40 साल से मुंबई में रहती हूं, मुझे कभी कोई समस्या नहीं हुई। मैं समझती हूं कि हम ऐसी कोशिश करें कि एक अनुकूल वातावरण वहां पर पैदा हो, आपस में भाईचारे के साथ लोग काम कर सकें, नहीं तो बहुत से महाराष्ट्र के लोग, खासतौर पर महिलाएं, जो शादी करके दूसरी स्टेट में गयी हैं, अगर उनको इस तरह की समस्या होने लगेगी, तो देश के अंदर एक अच्छा मैसेज नहीं जायेगा। मुझे यही आपसे कहना है।

श्री शिवराज वी० पाटीलः श्रीमान, उनका कहना मुझे बिल्कुल मान्य है और मैं यह समझता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से हमारे देश में रहने वाले लोगों के दिलों में दरारें पैदा हों। कर्णाटक, महाराष्ट्र का नाम लेने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग हिन्दुस्तान के हैं और महाराष्ट्र में रहते हैं, तो महाराष्ट्र के भी हैं।

अगर कोई यह बात कर देता है कि किसी के बाप-दादा पांच सौ, सात सौ साल पहले किसी एक हिस्से से आ गये, तो वह वहां का है, यहां का नहीं है, तो वह बात गलत हो जाती है। गलती से भी, जाने-अनजाने में भी ऐसी बातें हमारे मुंह से न निकलें, इसका हमें ध्यान रखना जरूरी है और यह हमारे हित में होगा।

श्रीमती मोहसिना किदवई: जनाब चेयरमैन साहब, मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहती हूं कि मुंबई में जो अभी घटनाएं घटी हैं, मैं समझती हूं कि वह एक बड़ी एलार्मिंग चीज है। हम लोगों को बहुत सख्ती के साथ उससे निपटना चाहिए। इसमें मुझे सबसे बड़ी और खतरनाक जो एलार्मिंग चीज नजर आती है, वह जो इस देश की सबसे बड़ी ताकत है, देश की एकता, उसको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। माननीय मंत्री जी ने अपने लिखित उत्तर में फिगर्स दी हैं कि इतने अरेस्ट हुए हैं, 1 हजार 5 सौ 75 और 336 ऑफेंसिज रजिस्टर्ड हुए हैं, तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि ये किस धारा कि तहत अरेस्ट हुए हैं? क्या ये लोग धारा-153(a) और 153(b) इंडियन पीनल कोड के तहत अरेस्ट हुए हैं या अन्य किसी धाराओं के तहत हुए हैं?

†[محترمہ محسنہ قدوائی: جناب چیئرمین صاحب، میں ماننے منتری جی سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ممبئی میں جو ابھی گھٹنائیں گھٹی ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک بڑی ایلارمنگ چیز ہے۔ ہم لوگوں کو بہت سختی کے ساتھ اس سے نپٹنا چاہئے۔ اس میں مجھے سب سے بڑی اور خطرناک جو ایلارمنگ چیز نظر آتی ہے، وہ جو اس دیش کی سب سے بڑی طاقت ہے، دیش کی ایکتا، اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی جارہی ہے۔ ماننے منتری جی نے اپنے لکھت جواب میں فگرس دی ہیں کہ اتنے اریسٹ ہوئے ہیں، ایک ہزار 5 سو 75 اور 336 آفنسز رجسٹرڈ ہوئے ہیں تو میں ماننے منتری جی سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ کس دھارا کے تحت اریسٹ ہوئے ہیں؟ کیا یہ لوگ دھارا۔ 153 (a) اور 153 (b) انڈین پینل کوڈ کے تحت اریسٹ ہوئے ہیں یا کسی اور دھارا کے تحت ہوئے ہیں؟]†

श्री शिवराज वी॰ पाटील: श्रीमन्, मैं इससे भी पूरी तरह से सहमत हूं कि हमारे देश में इस प्रकार की भावना फैलाने की अगर कहीं कोशिश हो रही है, तो इसका विरोध करना चाहिए। चाहे वह महाराष्ट्र में हो या पंजाब में, असम में हो अथवा कर्नाटक में हो या चाहे कहीं भी हो, तो इसका विरोध करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक इन केसेज की डिटेल्स का सवाल है, यही मुश्किल होती है कि ये केसेज महाराष्ट्र सरकार ने वहां की कोर्ट में दाखिल किए हैं, इन सभी केसेज का मैं यहां पर ब्यौरा तो दे नहीं सकता हूं। वहां पर 300 केसेज दाखिल किए गए हैं। ये 300 केसेज इंडियन पीनल कोड के किस सैक्शन के तहत दाखिल किए हैं या दूसरा कौन सा कानून लगा कर दाखिल किए हैं, यह बताना मुश्किल है। लेकिन मैं आपके लिए बताना चाहता हूं कि 5 हजार लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया था और डेढ़ हजार लोगों के खिलाफ जो 300 केसेज दर्ज किए गए थे, वे सब्सटेंटिव ऑफेंसेज़ के लिए किए गए हैं। इंडियन पीनल कोड के एग्जेक्टली कौन से सैक्शन उसके अंदर लगाए गए हैं अगर आप चाहें तो मैं आपको उसके डिटेल्स मंगवाकर दे दूंगा, मगर उसकी जरूरत नहीं है, वे सब्सटेंटिव ऑफेंसेज़ हैं।

श्रीमती मोहसिना किदवई: मान्यवर, मेरा सेकंड सप्लीमेंट्री है। ...(व्यवधान)... चेयरमैन सर, मेरा सेकंड सप्लीमेंट्री है। ...(व्यवधान)...

†[محترمہ محسنہ قدوائی: مانیور، میرا سیکنڈ سپلمنٹری ہے.....مداخلت..... چیئرمین سر، میرا سیکنڈ سپلمنٹری ہے.....مداخلت.....]†

श्री सभापति: दो सप्लीमेंट्रीज हो चुके हैं। ...(व्यवधान)...

† [Transliteration in Urdu Script]

श्रीमती मोहसिना किदवई: दो ही होते हैं। ...(व्यवधान)... सर, मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहती हूं। ये जितने काम होते हैं, सब सियासी मकसद से होते हैं कि हमें सियासत में वोट मिलें, चाहे वे समाज को बांटकर मिलें या नफरत फैलाकर मिलें। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि क्या माननीय मंत्री जी के पास कोई ऐसी चीज है कि जो पीपुल्स रिप्रजेंटेशन एक्ट है, उसको तरमीम करें और ऐसे लोगों के इलैक्शन लड़ने पर पाबंदी हो, जो देश में इस किस्म की नफरत फैलाकर, देश की सबसे बड़ी ताकत को कमजोर करना चाहते है।

†[محترمہ محسنہ قدوائی: دو ہی ہوتے ہیں.....مداخلت..... سر، میں ایک بہت امپورٹینٹ کونشچن پوچھنا چاھتی ھوں۔ یہ جتنے کام ھوتے ہیں، سب سیاسی مقصد سے ہوتے ہیں کہ ہمیں سیاست مین ووٹ ملیں، چاہے وہ سماج کو بانٹ کر ملیں یا نفرت پھیلاکر ملیں۔ میں مانئے منتری جی سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا مانئے منتری جی کے پاس ایسی کوئی چیز ھے کہ جو پیپلز ری پرزنٹیشن ایکٹ ھے، اس کو ترمیم کریں اور ایسے لوگوں کے الیکشن لڑنے پر پابندی ھو، جو دیش میں اس قسم کی نفرت پھیلاکر، دیش کی سب سے بڑی طاقت کو کمزور کرنا چاھتے ہیں۔]*

श्री शिवराज वी॰ पाटील: सर, जहां तक पीपुल्स रिप्रजेंटेशन एक्ट को अमेंड करने की बात है, उसको पूरे तरीके से देखने के बाद ही, हां या ना कहा जा सकता है। मगर यह बात सही है कि अगर किसी के खिलाफ कोई केस किया गया है और उसको उस केस में कुछ सज़ा हुई है और वह सज़ा पीपुल्स रिप्रजेंटेशन एक्ट में जो बताई गई है कि तीन साल से ज्यादा हो, तो क्या किया जा सकता है, यह सब उसके अंदर है और उसके मुताबिक ही कार्यवाही की जाती है। मगर मैं आप से सहमत हूं कि यहां पर कोई कोशिश कर रहा है कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर और कोई भी छोटी सी चीज निकालकर, हम लोगों में दरारें पैदा करने की कोशिश कर रहा है, उसका विरोध होना चाहिए। यदि कानून में तबदीली करने की जरूरत है, तो हम सब लोगों को बैठकर, उसके ऊपर विचार करने की जरूरत है और करना पड़ेगा। अगर कानून को इम्पलीमेंट करके करना है, तो वह करना पड़ेगा। यदि हम उससे ज्यादा भी बोलते हैं और जो करते हैं, उसके ऊपर ध्यान देना, हमारे लिए ज्यादा उपयुक्त सिद्ध होगा।

श्री अबू आसिम आज़मी: सर, मैं सरकार का ध्यान एक पेटिशन की ओर दिलाना चाहता हूं। राज ठाकरे के खिलाफ एक पेटिशन दाखिल हुई थी और उस पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सन आफ दि सॉयल की थ्योरी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभी मिनिस्टर साहब ने कहा है कि वहां अब ऐसी वारदातें नहीं हो रही हैं। आज मैंने सुबह जब अखबार पढ़ा तो कल की खबर यह है कि कलमबोली के अंदर दो लोग जा रहे थे, वे उत्तर भारतीय नहीं थे, लेकिन उनको उत्तर भारतीय भैया-भैया कहकर मारा गया। वे KEM अस्पताल में एडमिट हैं। उनका पैसा, पैसंठ हजार रुपया लूट लिया गया। उससे चार दिन पहले टैक्सी वालों को, यूपी वाला कहकर मारा गया और उसके बाद कह दिया कि इसमें राज ठाकरे के लोगों का कोई हाथ नहीं है। वहां पर रोजाना इस तरह के वाकये हो रहे हैं। कलमबोली वाले वाकये में अखबार के अंदर यह लिखा है कि जब इन लोगों ने कम्पलेंट की तो पुलिस वालों ने सिर्फ NC लिखा....। एफ॰ आई॰ आर॰ भी नहीं लिखी और गिरफ्तारी भी नहीं हो रही है। यह रोज-ब-रोज हो रहा है। अभी उसने सारे फैक्ट्री ऑनर्स को चिट्ठी लिख दी है कि 80% महाराष्ट्रियन, लोकलै लोगों को नौकरी में लेना पड़ेगा। उसने धमकी भी दी है कि अगर नहीं लेंगे तो उसके अंजाम बहुत बुरे होंगे। सरकार क्या चाहती है? सरकार उस पर पाबंदी क्यों नहीं लगाती है? यह वोटों की राजनीति, जो महाराष्ट्र में फैली हुई है, हमें डर है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में विदर्भ में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, पुणे और नासिक के लोग, जो उत्तर भारतीय वहां किसानों की नौकरी करते थे, वे छोड़कर चले गए...(व्यवधान)... क्या सरकार इंतजार कर रही है कि वहां के किसान भी आत्महत्या करें फिर ये कुछ करेंगे...(व्यवधान)... सरकार उस पर कुछ केस क्यों नहीं करती है? गरीब लोग पकड़े गए, दस-दस दिन तक अंदर रहे, लेकिन राज ठाकरे को हीरो बनाकर ले गए, कोर्ट से वापस लाकर घर बिठा दिया... उस पर आज तक मर्डर केस क्यों नहीं लिया गया....(व्यवधान)...

†[شری ابو عاصم اعظمی : سر، میں سرکار کا دھیان ایک پٹیشن کی طرف دلانا چاھتا ھوں۔ راج ٹھاکرے کے خلاف ایک پٹیشن داخل ہونی تھی اور اس پر سپریم کورٹ کا

† [Transliteration in Urdu Script]

کہنا ہے کہ سن آف دی سوئل کی تھیوری کو سویکار نہیں کیا جائے گا۔ ابھی منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ وہاں اب ایسی وارداتیں نہیں ہو رہی ہیں۔ آج میں نے صبح جب اخبار میں پڑھا تو کل کی خبر یہ ہے کہ کلم بولی کے اندر دو لوگ جا رہے تھے، وہ اتر بھارتی نہیں تھے، لیکن ان کو اتر بھارتی بھیا بھیا کہہ کر مارا گیا۔ یہ کیم اسپتال میں ایڈمٹ ہیں۔ اُن کا پیسہ، ایک ہزار روپیہ لوٹ لیا گیا۔ اس سے چار دن پہلے ٹیکسی والوں کو، یوپی۔ والا کہہ کر مارا گیا اور اس کے بعد کہہ دیا کہ اس میں راج ٹھاکرے کے لوگوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ وہاں پر روزانہ اس طرح کے واقعے ہو رہے ہیں۔ کلم بولی والے واقعہ میں، اخبار کے اندر یہ لکھا تھا کہ جب ان لوگوں نے کمپلینٹ کی تو پولیس والوں نے صرف این۔سی۔ لکھا۔ ایف۔آئی۔آر۔ بھی نہیں لکھی اور گرفتاری بھی نہیں رہی ہ۔ یہ روز بروز ہو رہا ہے۔ ابھی اس نے سارے فیکٹری آنرس کو چٹھی لکھ دی ہے کہ 80٪ مہاراشٹرین، لوکل لوگوں کو نوکری میں لینا پڑے گا۔ اس نے دھمکی بھی دی ہے کہ اگر نہیں لیں گے تو اس کے انجام بہت برے ہوں گے۔ سرکار کیا چاہتی ہے؟ سرکار اس پر پابندی کیوں نہیں لگاتی ہے؟ یہ ووٹوں کی راجنیتی، جو مہاراشٹر میں پھیلی ہوئی ہے، ہمیں ڈر ہے کہ جس طرح سے مہاراشٹر میں ودربھ میں کسان آتما ہتیہ کر رہے ہیں، پونے اور ناسک کے لوگ، جو اتر بھارتی وہاں کسانوں کی نوکری کرتے تھے، وہ چھوڑ کر چلے گئے ۔مداخلت۔ کیا سرکار انتظار کر رہی ہے کہ وہاں کے کسان بھی آتما ہتیہ کریں پھر یہ کچھ کریں گے ۔مداخلت۔ سرکار اس پر کچھ کیس کیوں نہیں کرتی ہے؟ غریب لوگ پکڑے گئے، دس دس دن تک اندر رہے، لیکن راج ٹھاکرے کو ہیرو بنا کر لے گئے، کورٹ سے واپس لاکر گھر بٹھا دیا۔ اس پر آج تک مرڈر کیس کیوں نہیں لیا گیا ۔مداخلت۔

श्री [illegible] न पूछिए।

जमी: उसी का उठाया हुआ सवाल है। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि आज तक [illegible] केस और जो लोग लूटे गए उनका रॉबरी केस क्यों नहीं लिया गया?

श्री ابو عاصم اعظمی : اسی کا اٹھایا ہوا سوال ہے۔ میں اس سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج تک مرڈر کیس اور جو لوگ لوٹے گئے ان کا رابری کیس کیوں نہیں لیا گیا؟

MR. CHAIRMAN: Thank you.

[Transliteration in Urdu Script]

श्री शिवराज वी॰ पाटील: सभापति जी, यह सवाल कि मर्डर केस क्यों नहीं लगाया गया, कोर्ट से क्यों छोड़ा गया, इसका उत्तर अगर मुझसे यहां पूछा जाएगा तो मैं क्या उत्तर दूं? अगर मर्डर केस लगाने जैसे कुछ फैक्ट्स हैं तो मर्डर केस भी लगाया जाएगा। अगर यह मर्डर केस है तो कोर्ट उसे बेल पर भी नहीं छोड़ेगी।

श्री अबू आसिम आज़मी: सर दो लोग मारे गए हैं।

† **شری ابو عاصم اعظمی :** سر دو لوگ مارے گئے ہیں۔

श्री शिवराज वी॰ पाटील: ये जो सारी चीजें हैं, मैं इनकी गहराई में नहीं जाना चाहता हूं, परंतु उनकी भावनाओं से सहमत हूं कि किसी भी वजह से किसी के खिलाफ अगर कोई आदमी कहीं ऐसी चीज कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए और जितनी कड़ी कार्यवाही हो सकती है, उतनी कड़ी होनी चाहिए। किसी को स्टेटमेंट देने के लिए कौन सा कानून या सेक्शन लगाना चाहिए, इसका निर्णय हम यहां से या वहां से नहीं दे सकते हैं, इसके लिए इंवेस्टिगेशन करना जरूरी है। कानून की तरफ से जितनी भी कड़ी कार्यवाही हो सकती है, वह करेंगे, इतना मैं आपको आश्वासन देता हूं।

श्री अबू आसिम आज़मी: सर कल की बात है, दो लोग अस्पताल में हैं। ...(व्यवधान)...

† **شری ابو عاصم اعظمی :** سر کل کی بات ہے، دو لوگ اسپتال میں ہیں ۔مداخلت۔

MR. CHAIRMAN: One question at a time, please. ....(*Interruptions*)...

श्री अबू आसिम आज़मी: उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ, सर...(व्यवधान)...

† **شری ابو عاصم اعظمی :** انکے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں ہوا، سر ،۔مداخلت۔

MR. CHAIRMAN: Abu Asim Azmi Saheb, one question at a time please.

SHRI MANOHAR JOSHI: Mr. Chairman, Sir, thank you very much. This is an important question before the House and, as a matter of fact, the question is based on wrong premises that there is an anti-migrant drive in Mumbai and Maharashtra. ...(*Interruptions*)... Sir, absolutely, there is no such drive; number one. ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: Sir, this is not correct.

SHRI MANOHAR JOSHI: Secondly, I would like to know from the hon. Minister whether he is going to consider ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: Sir, what he is saying is not correct. I object to that completely. ...(*Interruptions*)... What he is saying is not correct. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Would you let the hon. Member ask the questions? ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: No, Sir; this is not correct. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Please let him ask the questions. ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: This is totally incorrect. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Please let him ask the question.

SHRI MANOHAR JOSHI: Sir, there is no movement as such; there is no drive as such; I repeat again. ...(*Interruptions*)... I repeat it again that there is no such drive. ...(*Interruptions*)... This is the time. ...(*Interruptions*)...

† [Transliteration in Urdu Script]

श्री सभापति: आप अपना प्रश्न पूछ लें। ...(व्यवधान)...Please put your question. ...(*Interruptions*)...

SHRI MANOHAR JOSHI: Sir, they are not allowing me to put my question. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Please let the question be asked. ...(*Interruptions*)...

SHRI MANOHAR JOSHI: Sir, my question is very straight. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Please let the question be asked. आप सवाल पूछ लें। ...(व्यवधान)...

SHRI MANOHAR JOSHI: My question is very straight. ...(*Interruptions*)...

श्रीमती जया बच्चन: यह गलत बयान है। ...(व्यवधान)...what he is saying is incorrect.

SHRI MANOHAR JOSHI: My question is very straight to the hon. Minister; whether he believes in the theory of local people, giving priority to the local people in jobs, and whether he believes in the pride of a State whether it is Maharashtra or whether it is Gujarat or whether it is. ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, the question is. ...(*Interruptions*)...

SHRI MANOHAR JOSHI: I am putting it to the hon. Minister. ...(*Interruptions*)... Whether the hon. Minister is ready to take...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Let the question be answered. ...(*Interruptions*)...

SHRI MANOHAR JOSHI: Sir, I am not scared of...(*Interruptions*)... Sir, let them shout; I am not scared. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Have you finished the question?

SHRI MANOHAR JOSHI: Sir, I must put my question to the hon. Minister.

MR. CHAIRMAN: Have you finished your question?

SHRI MANOHAR JOSHI: You have permitted me to ask the question. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Where is the question? ...(*Interruptions*)...

SHRI MANOHAR JOSHI: Sir, if they disturb me, I cannot put my question. ...(*Interruptions*)... You first stop them and, then, I will put my question. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: I would request the hon. Members to allow the question to be answered. ...(*Interruptions*)... Please sit down. ...(*Interruptions*)... Please sit down ...(*Interruptions*)...

SHRI MANOHAR JOSHI: Sir, I want the hon. Minister to go to the root cause of it. ...(*Interruptions*)... Sir, I want the hon. Minister to go to the root cause of it. ...(*Interruptions*)... If the hon. Minister goes to the root cause, such incidents. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Nobody is heard in this din. (*Interruptions*)... Please allow the question to be put and answered. (*Interruptions*)...

SHRI MANOHAR JOSHI: That is the feeling of many States in the country. (*Interruptions*)... It is not the feeling of only my State, Maharashtra. (*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Please just put the question, no statement. (*Interruptions*)... Please. (*Interruptions*)...

SHRI MANOHAR JOSHI: I would like to know from the hon. Minister...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Question, please.

SHRI MANOHAR JOSHI: If I am proud of my country, I am also proud of my State. (*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Please. May I request the hon. Members to resume their places? (*Interruptions*)...

SHRI MANOHAR JOSHI: Sir, a number of regional parties are proud of their States, so also, my party in my State. (*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Please. (*Interruptions*)... Please resume your places. I would request the hon. Members to put the questions and not make statements, and not to interrupt question or answers. That is all. (*Interruptions*)... Please. (*Interruptions*)...

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: सर, यह मुद्दा बहुत संवेदनशील है...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Please. (*Interruptions*)...

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: सर, यह मुद्दा बहुत संवेदनशील है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसको प्रश्न काल में न करके इस पर अल्पकालिक चर्चा करा ली जाए।

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: Whatever has happened in Maharashtra has happened. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: All right. That is a separate proposal. (*Interruptions*)... That is a separate proposal. (*Interruptions*)... Would the hon. Minister kindly answer? (*Interruptions*)... Please don't interrupt. (*Interruptions*)... Please don't interrupt. (*Interruptions*)...

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, the hon. Member wants to know what kind of pride I have. I am proud of being an Indian. ...*(Interruptions)*...

SHRI MANOHAR JOSHI: Are you not proud of being a Maharashtrian? ...*(Interruptions)*... Are you not proud of being a Maharashtrian? ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Joshiji, please don't interrupt. ...*(Interruptions)*...

SHRI MANOHAR JOSHI: He must also reply to my question. I said, "I am proud to be an Indian." ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Would you please sit down? ...*(Interruptions)*...

SHRI MANOHAR JOSHI: I am proud of being a Maharashtrian. What is wrong in it? ...*(Interruptions)*... Are you not proud of being a Maharashtrian? ...*(Interruptions)*...

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: You hear me. ...*(Interruptions)*... Sir, I repeat, I am proud of being an Indian and I think Maharashtra is in India. ...*(Interruptions)*...

SHRI MANOHAR JOSHI: But are you not proud of Maharashtra? ...*(Interruptions)*...

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: I am not going to separate Maharashtra from India. ...*(Interruptions)*...

MR CHAIRMAN: Shri Sharad Yadav. ...*(Interruptions)*...

SHRI MANOHAR JOSHI: Sir, he has not replied properly.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Maharashtra is part of India. I am not going to separate Maharashtra from India as you are trying to do.

श्री शरद यादव: सभापति जी, देश एक संघ राज्य है, Federal State है। यह जवाब आया है कि कोई migration नहीं हुआ। No anti-migrant drive has been started. 336 केस चले हैं, 1575 persons arrest हुए हैं, 5159 persons prevent किए गए हैं। इस देश का जो federal structure है, उसके मायने यह नहीं है कि बिल्कुल लगातार राज्य की तरफ से छूट आए। आप भी जानते हैं, देश भी जानता है। एक आदमी ने, जो म्युनिसपैलिटी का भी लीडर नहीं है, देश में कानून है, सरकारें दोनों तरफ आपके पास हैं, असम में भी सरकार आपके पास है, जिस दिन उसने बयान दिया था, उस दिन आपको तत्काल उसको तलब करना चाहिए था। जब आप सरकार चलाते हैं, तो आपके पास सब तरह के अधिकार इसलिए दिए गए हैं कि आप इस तरह के सिरफिरे लोगों को दुरुस्त करें। यदि उसी दिन आपने उसे जेल के अन्दर भेजा होता, उसको दुरुस्त किया होता, तभी अच्छा था। लेकिन उसकी जो गिरफतारी हुई, ऐसा लगता था कि जैसे कोई बारात जा रही हो ...(व्यवधान)... ड्रामा ही नहीं, सरकार के द्वारा उसकी बारात निकाली गई ...(व्यवधान)... मैं नहीं जानता कि वह खराब आदमी है या अच्छा आदमी है, लेकिन जिस आदमी के पीछे जन-बल है, तो कानून व्यवस्था का सवाल उठ सकता है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यहां पर ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर श्री दास मुंशी जी भी बैठे हुए हैं, तो मेरे अच्छे मित्र हैं, वहां की सरकार ने और आपने ...(व्यवधान)... यह जो जवाब आया है, यह ऐसा जवाब है, जिससे यह देश तबाह हो रहा है।

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: What is the question?

श्री शरद यादव: क्वेश्चन ही कर रहा हूं। आपने अभी तो ओथ ली है, अब उसके बाद क्या आप हमारी बात भी नहीं सुनेंगी? ...(व्यवधान)... आपने बाकी लोगों को सुना, भाषण तो सबने दिया, मैंने कोई भाषण नहीं दिया, देश के लिए आप दो बातें सुनिए।

यहां पर दास मुंशी जी बैठे हैं, आपके पास सरकार यहां भी थी और वहां भी थी। यह तो मीडिया है, पैसा कमाने के लिए यह जिस तरह से करता है कि देश में जहां टक्कर है, वहां की खबर है, फिर चाहे जैसी भी टक्कर हो, लेकिन वहां क्या तबाही हो रही है और कितने लोग वापस आए हैं ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप सवाल पूछिए।

श्री शरद यादव: सभापति जी, मैं देश के तीन इलाकों से जीता हूं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार से। वहां से कितने लोग वापस हुए हैं, इसकी वेदना यदि पूछनी है तो हमारे इलाके के लोगों से पूछिए। हमारे यहां पर भी आधे से ज्यादा महाराष्ट्र के लोग रहते हैं।

यहां पर संचार मंत्री जी बैठे हुए हैं और सरकार आपकी है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सरदार पटेल की जगह बैठे हुए हैं। वह एक निगाह उठाते थे तो जिनके पास बंदूक और हथियार होते थे, वे भी धरती में गढ़ जाते थे। आज यह हालत है कि एक आदमी, तो म्यूनिसिपैलिटी का लीडर है, उसे भी आपने अरैस्ट नहीं किया ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Question please.

श्री शरद यादव: यह *जवाब दिया गया, फिर आप कह रहे हैं कि वहां पर कुछ नहीं हुआ। अमिताभ बच्चन एक नामवार आदमी हैं, तो वहां पर रहते हैं, उनके घर पर रोज जिस तरह से उनके खिलाफ बोतलें फैंकी गईं, हर तरह के हथियार लेकर लोग उनके घर गए, यह क्या चला हुआ है? इसको बंद करने के लिए यदि कोई कानून लाना है, तो आप लेकर आइए, हम सब लोग आपका साथ देंगे। कड़ाई से आप देश को चलाइए। महाराष्ट्र के आधे से ज्यादा आदमी बाहर रहते हैं।

मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैं जबलपुर का रहने वाला हूं और वहां से तीन बार चुने गए एम.पी. श्री बाबू राव

*Expunged as ordered by the Chair.

मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैं जबलपुर का रहने वाला हूं और वहां से तीन बार चुने गए एम.पी. श्री बाबू राव परांजपे महाराष्ट्रियन ही थे। मैं आपसे फिर यही कहना चाहता हूं कि यह तो जवाब है, सभापति जी, इसके बारे में आप कस्टोडियन हैं, इस जवाब से बड़ा* और कुछ हो नहीं सकता है। ऐसे जो जवाब हैं, उनसे पार्लियामेंट नहीं चल सकती है, इतने* बड़े पर यह पार्लियामेंट नहीं चल सकती है ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Please to careful with the language. ...*(Interruptions)*...

श्री शरद यादव: यह* है, यह राज्य सरकार का* है।

MR. CHAIRMAN: Please be careful with the language used in the House.

श्री शरद यादव: ठीक है, आप* शब्द निकाल दीजिए, यह असत्य है। *शब्द को आप निकाल दीजिए।

MR. CHAIRMAN: Question please.

श्री शरद यादव: यह जवाब बिल्कुल असत्य है ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Let the hon. Minister reply to the question. ...*(Interruptions)*... ..आप बैठ जाइए ...(व्यवधान)... Please resume your seat.

एक माननीय सदस्य: सभापति महोदय, सभापति महोदय ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Please do not interrupt.

श्री शिवराज वी. पाटील: श्रीमान्, यह जो सवाल यहां पर पूछा गया है, उसके उत्तर में मुझे जो जानकारी मिली, उसे मैंने सदन के सामने रखा है। इस बात पर पहले भी जब इस सदन में और उस सदन में चर्चा हुई थी, तब भी यहां पर खड़े हो कर मैंने यह कहा था और आज उसे फिर दोहराना चाहता हूं। मैंने यह कहा था कि कितने आदमी वहां से बाहर चले गए हैं या जाने पर मजबूर हो गए हैं, मैं उसके आंकड़ों पर झगड़ा नहीं करना चाहता हूं, यदि एक भी आदमी वहां से बाहर गया है तो यह हमारे लिए शर्म की बात है। मैंने पहले भी यही कहा था और आज भी यही कहता हूं कि यदि एक भी आदमी वहां से गया, तो यह हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्रीमती जया बच्चन: शर्म से कुछ नहीं होगा, आप कुछ सख्ती करिए?

श्री शिवराज वी. पाटील: यह तो बात है, इसे यदि आप इस प्रकार से सामने रखेंगे कि उससे एक प्रान्त में और दूसरे प्रान्त में गलतफहमियां पैदा हो जाएं, यह किसके हित में होगा? इस तथ्य को भी हमें समझना होगा। हम आंकड़ों पर झगड़ा नहीं कर रहे हैं, हम तो यह कह रहे हैं कि यह जो दृष्टिकोण है कि यह मेरा प्रान्त है और दूसरा कोई यहां नहीं आ सकता, यह गलत है। पूरा देश हमारा है, हम सबका है और कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी जा कर रह सकता है। अगर दूसरे प्रान्त के लोग महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो महाराष्ट्र के लोग भी दूसरे प्रान्तों में जा कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि महाराष्ट्र में किसी को आने नहीं दिया जाएगा या महाराष्ट्र के लोगों को कहीं जाने नहीं दिया जाएगा। यह जो मनोवृत्ति है, उसके हम मुखालिफ हैं और जिसके खिलाफ जितनी भी कार्रवाई करनी जरूरी की जाएगी। वह करने के लिए हम बोले थे।

MR. CHAIRMAN: Question No. 342. ...*(Interruptions)*...

श्री शरद यादव: सभापति जी, ...(व्यवधान)... मैंने सवाल किया था कि ...(व्यवधान)... क्या गृह मंत्री जी इन आंकड़ों से सहमत हैं? ...(व्यवधान)... ये जो आंकड़ों आए हैं, क्या उनसे वह सहमत हैं ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Sharadji, please, we have taken enough time on this question. ...*(Interruptions)*... Q. No. 342. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: Sir, how can you not allow me to raise my supplementary on this?

MR. CHAIRMAN: There is an established practice about the Question Hour and the supplementaries to be put ...*(Interruptions)*... Please allow the next question to be put ...*(Interruptions)*...

*Expunged as ordered by the Chair.

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: I need your protection..

MR. CHAIRMAN: You have the protection. But you cannot go beyond the established practice of the House ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: I have not spoken on this subject.

MR. CHAIRMAN: One Member of your party has already put his supplementary ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: I am a Member of this House...

MR. CHAIRMAN: But the supplementries have to be divided ...*(Interruptions)*...

श्री शाहिद सिद्दिकी: सर, ...(व्यवधान)... एक एम०पी० के घर पर हमला हुआ ...(व्यवधान)... महाराष्ट्र में ...(व्यवधान)... यह इस हाउस की मैम्बर हैं ...(व्यवधान)...

† [شری شاہد صدیقی : سر، ۔مداخلت۔۔ایک ایم پی۔ کے گھر پر حملہ ہوا ۔مداخلت۔ مہاراشٹر میں ۔مداخلت۔۔ یہ اس ہاؤس کی ممبر ہیں ۔مداخلت۔]

MR. CHAIRMAN: Please sit down...*(Interruptions)*...

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: You tell me that you are not giving me protection. I will accept it. But tell me so.

MR. CHAIRMAN: Let me make this position clear...*(Interruptions)*...Please do not interrupt the proceedings ...*(Interruptions)*... I would request the hon. Members to resume their seats ...*(Interruptions)*... Let us be very clear so to what the procedure about the Question Hour is. As for the hon. Member, who puts the question, and if there are two Members associated with the question, the first Member gets two supplementaries and the second Member gets one supplementary. And, thereafter, three supplementaries are being allowed. In fact, there is a decision of the House that two supplementaries should suffice. I am being indulgent by allowing sufficient number of supplementaries ...*(Interruptions)*... Kindly resume your seats ...*(Interruptions)*... I would request you to resume your seats. Don't interrupt the Chair ...*(Interruptions)*... If you make allegations, be careful about it. Let us go ahead with the next question.

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: We are walking out.

(At this stage, some hon. Members left the Chamber.)

MR. CHAIRMAN: Q. No. 342.

Barbed wire fencing along international border

*342. SHRI MATILAL SARKAR: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the length of barbed wire fencing erected so far on the international border in different States of the country;

† [Transliteration in Urdu Script]